न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 42/2020

1. लाखन पुत्र श्योसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलीन तहसील महवा जिला दौसा।

.. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महवा जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार महवा दिनांक 13.10.2020 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम लाखन मु0नं0 91/2020 अंतर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित : 1. श्री ऋद्धि चंद शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

:: निर्णय ::

दिनांकः 22.12.2021

अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार महवा जिला दौसा ने दिनांक 13.10.2020 को ग्राम बलीन तहसील महवा के खसरा नं0 331/728 रकबा 0.03 है0 किस्म सिवायचक (गै0मु0मरघट) भूमि पर अपीलांट को अतिकमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं लगान का 50 गुना शास्ति का आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट द्वारा इसी आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विधान एवं न्याय की सामान्य प्रकियाओं के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं करके निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलांट के विरूद्ध प्रथम दृष्टया किसी भी प्रकार के जुर्म की कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को दोषी मानते हुए दंडित किया है। अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का एक भी तत्व प्रमाणित नहीं होने के बावजूद अपीलांट को दोषी मानकर सजा दी गई है। अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि साबिक खसरा नंबर 82 वाके ग्राम बलीन में स्थित है, परन्तु हाल सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा अपीलांट की भूमि का उत्तरी पूर्वी कोने का लगभग 10 एयर भू भाग काट कर कम कर हाल खसरा नंबर 331/728 में शामिल कर दिया था, जिसका अपीलांट ने न्यायालय उपखंड अधिकारी महवा के समक्ष दुरूस्ती इन्द्राज का प्रकरण प्रस्तुत किया, जिसे उपखंड अधिकारी महवा द्वारा स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि ग्राम बलीन तहसील महवा की भूमि हाल खसरा नंबर 331/727 रकबा 0.60है0 के नक्शे को गत खसरा नंबर 82 के अनुसार दुरूस्त किया जावे एवं उक्त आदेश के पश्चात अपीलांट की साबिक खसरा नंबर 82 की भूमि के अनुसार हाल खसरा नंबर 331/727 का नक्शा ट्रैस दुरूस्त कर दिया गया एवं हाल खसरा नंबर 331/728 का उत्तरी पश्चिमी कोना दुरूस्त कर हाल खसरा नंबर 331/727 में सम्मिलित कर दिया। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा पूर्व नक्शा जो

कि सेटलमेंट द्वारा नक्शा गलत बनाया गया था, के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध गलत तरीके से अतिक्रमण की रिपोर्ट कर दी गई, जबकि अपीलांट अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर ही काबिज है। अपीलांट ने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णतया मनमानेपूर्ण तरीके से कानून एवं नियमों की सही विवेचना नहीं कर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा द्वारा उनवानी मुकदमा सरकार बनाम लाखन प्रकरण संख्या 91/2020 धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2020 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को दोषमुक्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई जुर्म की साक्ष्य नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को दोषी मानते हुए दंडित किया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अंकित है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलांट ने सिवायचक किस्म गै0मु0 मरघट भूमि रकबा 0.03है0 पर बाजरा की काश्तकर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में नवीन अतिक्रमण होना अकित किया है। अपीलांट को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किये जाने एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पत्रावली में अपील के संलग्न न्यायालय उपखंड अधिकारी महवा के निर्णय दिनांक 1.12.2014 की प्रति प्रस्तुत की गई जिसके अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय उपखंड अधिकारी महवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.12.2004 के अनुसार वर्तमान खसरा नंबर 331/727 रकबा 0.60है. गत खसरा नंबर 82 से बना है जैसाकि नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबंध विभाग से स्पष्ट होता है, गत खसरा नंबर 82 दुर्गासिंह, श्योसिंह की खातेदारी में दर्ज थी। वर्तमान खसरा नंबर 331/728 रकबा 0.72है.शमशान घाट दर्ज है। वर्तमान खसरा नंबर 331/727 व 331/328 के नक्शा ट्रैस को गत नक्शा ट्रैस से मिलान करते है तो दोनों ट्रैसों में भिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। खसरा नंबर 331/728 की सीमा जो खसरा नंबर 331/727 से लगी हुई है, को बिल्कुल सीधा कर दिया गया है, जिससे खसरा नबर 331/727 का ट्रैस छोटा हो गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपने प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम को सिद्ध

करने में सफल रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर उपखंड अधिकारी महवा द्वारा आदेश दिये गये है कि ग्राम बलीन तहसील महवा की भूमि खसरा नंबर 331/727 रकबा 0.60है. के नक्शा ट्रैस को गत खसरा नंबर 82 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा के अनुसार दुरूस्त किया जावे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रस्तुत साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं कर निर्णय पासरित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जाकर हम प्रकरण को रिमांड किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.10.2020 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार महवा को इस आशय के साथ प्रतिप्रषित किया जाता है कि अपीलांट को पुनः साक्ष्य एवं सबूत एवं दस्तावेज पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान कर इस न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख नर्णय की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 22 दिसम्बर 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा